संख्या-50/2016/वे0आ0-2-950/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
व्यवसायिक शिक्षा एवं
कौशल विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2016

विषय- व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक के पद की वेतन विसंगति से संबन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक के पद की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14 जून, 2016 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 14 जून, 2016 का कार्यवृत्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-50/2016/वे0आ0-2-950(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव समिति में व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक के पद की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति में दिनांक 14 जून, 2016 को हुए विचार विमर्श का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :––

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग – सदस्य

(2) श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग – सदस्य

(3) श्री भुवनेश कुमार, सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग – सदस्य

(4) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग – सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ की मॉगों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम समिति द्वारा संघ के पदाधिकारियों का पक्ष सुना गया। संघ की ओर से श्री यदुवीर सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ द्वारा अपना पक्ष रखा गया। संघ द्वारा अनुदेशक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तथा कार्यदेशक/फोरमैन अनुदेशक के पद पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराये जाने की मॉग की गई। संघ द्वारा मॉग का आधार यह बताया गया कि भारत सरकार द्वारा अनुदेशक के पद का ग्रेड वेतन निर्धारित किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें अनुदेशक के पद हेतु वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– निर्धारित किये जाने का उल्लेख है। चूँकि कार्यदेशक/फोरमैन अनुदेशक के पद अनुदेशक से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, इस कारण संघ द्वारा अनुदेशक/फोरमैन के पद हेतु वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य किये जाने की मॉग की गई है। संघ द्वारा अपने मॉग के समर्थन में यह भी उल्लेख किया गया कि उत्तरांचल सहित अन्य कई राज्यों में अनुदेशक के पद पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य किया जा चुका है।

2– उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ का पक्ष उपर्युक्तानुसार सुनने के उपरान्त समिति द्वारा अनुदेशक/कार्यदेशक/फोरमैन अनुदेशक के पद की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में विचार किया गया। समिति द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों तथा अन्य राज्यों में अनुमन्य वेतनमानों के आधार पर विचार किया

गया। संघ की मॉग के क्रम में समिति को तथ्यात्मक स्थिति से निम्नवत् अवगत कराया गया :——

तथ्यात्मक स्थिति

विभागीय प्रस्ताव के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग का ढॉचा निम्नवत् है :———

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत	वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	शैक्षिक अर्हता एवं भर्ती की विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अनुदेशक	4,158	वेतन बैण्ड–2, 9300–34800	4200/–	सीधी भर्ती– अर्हता– हाईस्कूल अथवा समकक्ष। तकनीकी अर्हता सेवा नियमावली के अनुसार।
2	कार्यदेशक/फोरमैन अनुदेशक	493	वेतन बैण्ड–2, 9300–34800	4600/–	अनुदेशक से पदोन्नति द्वारा।

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ की मॉग के क्रम में विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उत्तरांचल सरकार के अधीन संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक के पद का ग्रेड वेतन वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– किया जा चुका है। इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि डायरेक्टर जनरल प्रशिक्षण भारत सरकार के द्वारा अनुदेशक के पद का ग्रेड वेतन रू0 4600/– किये जाने की संस्तुति की गई है, किन्तु उत्तर प्रदेश में अनुदेशक के पद का ग्रेड वेतन रू0 4200/– ही है। कार्य एवं शिक्षा का स्तर समान होने के कारण उत्तर प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक के पद का ग्रेड वेतन रू0 4600/– तथा कार्य अनुदेशक के पद का ग्रेड वेतन रू0 4800/– किया जाय।

समता समिति (1988)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 1986 से वेतनमान रू0 1400–2600 तथा कार्यदेशक के पद पर वेतनमान रू0 2000–3200 अनुमन्य किया गया। दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों में सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान क्रमशः रू0 5000–8000 तथा रू0 6500–10500 अनुमन्य किया गया। दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुदेशक के पद पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा कार्यदेशक के पद पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य हो रहा है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों

के अनुसार महानिदेशक प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2016 के माध्यम से समस्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुदेशकों के कैरियर प्रोगेशन के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अनुदेशक के पदों पर पे पैरटी को बनाये रखा जाय और प्रारम्भिक ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य किया जाय।

समिति की संवीक्षा

समिति द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक)सेवा नियमावली, 2014 में अनुदेशक के पद की शैक्षिक अर्हता को देखा गया। उक्त सेवा नियमावली में 50 प्रतिशत पद सुसंगत व्यवसाय में प्रमाण–पत्र या सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र निर्धारित है तथा 50 प्रतिशत पदों के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा या डिग्री निर्धारित है। यह देखते हुए कि वेतनमानों का निर्धारण किसी पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आधार पर किया जाता है, के क्रम में यह अभिमत बना कि अनुदेशक के कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा अर्हताओं के आधार पर वेतनमानों के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु अभी और परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियॉ प्राप्त हो चुकी है और उस पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। भारत सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विचार हेतु वेतन समिति का गठन किया जायेगा। अतः यह उचित होगा कि प्रशासकीय विभाग विचाराधीन विषय पर सम्यक परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव गठित होने वाली वेतन समिति के समक्ष उपलब्ध करायेंगे।

(राहुल भटनागर)
प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग।

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग।

(श्री भुवनेश कुमार)
सचिव, व्यवसायिक
शिक्षा एवं कौशल
विकास विभाग ।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।